

7.18

बोधगुण

अपीलाए अधिवक्ता उपखिला उन्हे काश
 निवेदन किना उमाकि उका अधीन प्रकार से
 सम्बन्धित मूल दवा का निर्देश हो चुका है। उतः
 अपीलए की ओर से परतुत अधीन को नरिने
 नर भेस के निस्तारित कर दी जावे तो उने कोड
 आपति नहीं है



उतः उपरोक्त अपीलए अधीन को अधिवक्ता
 की ओर से परतुत नर भेस के साधर पर
 अधीन को जावे है। परावती निर्दिष्ट होकर नर
 से काश को जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल
 उके निर्देश को सम्पूर्ण सहित लक्ष्य जावे।